कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान,जयपुर

कमांक दिनांकः

निमितः–

1–अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान,जयपुर ।

2–समस्त मुख्य वन संरक्षक(वन्यजीव)
....

3–समस्त मुख्य वन संरक्षक,
....

विषयः वन अपराध में अभिग्रहण (Seized) की गई वन उपज एवं वस्तुओं को धारा 52(3) के अन्तर्गत अधिहरण करने के संबंध में जारी किये जाने वाले नोटिस के प्रारूप के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान वन अधिनियम, 1953 एवं वन (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 52(1) के अन्तर्गत वन उपराध में अभिग्रहण (Seized) की गई वन उपज एवं वस्तुओं को धारा 52 (3) के अन्तर्गत अधिहरण (Confiscate) करने से पूर्व धारा 52(4)(b) में नोटिस दिया जाना आवश्यक है तथा प्रभावित पक्ष को युक्तियुक्त समय (reasonable time) के भीतर–भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः इस हेतु जारी किये जाने वाले नोटिस का प्रोफार्मा संलग्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है, साथ ही संबंधित प्रोफार्मा में परिवर्तन हेतु कोई सुझाव प्रस्तावित हो तो कृपया इस कार्यालय को सूचित कराने का कष्ट करें ताकि आवश्यक सुधार किया जा सके एवं राज्य स्तर पर एकरूपता प्रणाली अपनायी जा सके।

संलग्नः उक्तानुसार ।

भवदीय,

(एम0एल0मीणा)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन सुरक्षा), राजस्थान,जयपुर

कमांक 7608 दिनांकः 14.8.13

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रोद्योगिकी), अरावली भवन, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया संलग्न प्रोफार्मा को Web site पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन सुरक्षा), राजस्थान,जयपुर

D/: Rajasthan Forest Act, 2013

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक,.............वन मण्डल.........

क्रमांक दिनांक

नोटिस

राजस्थान वन अधिनियम 1953 एवं राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 52 उपधारा (1) के अन्तर्गत वन अपराध में अभिग्रहण (Seized) की गयी वन उपज एवं वस्तुओं को धारा 52 (3) के अन्तर्गत अधिहरण (Consfiscate) करने के संबंध में।

निमित:–

....

....

श्री ....पद...................रेंज ....अथवा थाना प्रभारी, पुलिस थाना.......... .... ने एफ.आई.आर. संख्यॉ .... दिनांक से दर्ज प्रकरण संख्यॉ .... प्रस्तुत किया है जिसमें राजस्थान वन अधिनियम की धारा (26/ 26ए/30/ 32/41) एवं धारा .... का उल्लंघन करते पाये जाने के कारण वन उपज मय वाहन एवं वन अपराध कारित करने में प्रयुक्त सामग्री .. .. को जब्त किया गया है । उक्त वन उपज एवं वाहन तथा प्रयुक्त सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अधिहरण (Confiscate) किये जाने के योग्य है जिसकी कार्यवाही विचाराधीन है।

अतः आपको जरिये इस नोटिस सूचित किया जाता है कि एफआईआर नं. .... दिनांक .... से दर्ज वन अपराध के कारण राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 52 (1) के अन्तर्गत सीज किये गये उपरोक्त वाहन एवं सामग्री को राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 52 (3) के अन्तर्गत क्यों नही अधिहरण (Confiscate) कर लिया जावें ? इस संबंध में आप स्वयं या आपके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत एजेन्ट अथवा अपने प्लीडर जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, दिनांक .... को .... बजे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होवें । यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त प्रकरण में सुनवाई एवं उसका निस्तारण एक पक्षीय रूप से कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। यह नोटिस आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा (Seal) से जारी किया गया ।

दिनांक :–

प्राधिकृत अधिकारी एवं
सहायक वन संरक्षक............
वन मण्डल...............

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– मुख्य वन संरक्षक एवं अपीलीय अधिकारी,..............................
2– उप वन संरक्षक, ...
3– सहायक वन संरक्षक, उडनदस्ता /क्षेत्रीय वन अधिकारी................................. को उनके पत्रांक .... दिनांक...................के संदर्भ में लेख है कि आप प्रकरण संख्या......................से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ दिनांक ....समय..................................पर विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होवें ।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
सहायक वन संरक्षक............
वन मण्डल...............